संख्या-353/2025/93 के-2/22-3-2025-17(215)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 30 जुलाई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी लालू उर्फ रणधीर पुत्र श्री सुरजन सिंह, निवासी जनपद-एटा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-1910/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-09.01.2025) दिनांक-15.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी लालू उर्फ रणधीर पुत्र श्री सुरजन सिंह, जो ग्राम-पिलखतरा, थाना-जलेसर, जनपद-एटा का निवासी है। पूर्व में भूरा उर्फ उदयपाल व कु0 विजया के घर से भाग जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 13/14.11.2008 की रात्रि को बन्दी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी रायफलों व नाजायज असलहों से गोली मारकर सत्यभान, भूरा उर्फ उदयपाल व कु0 विजया कुल 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-23/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 में मा0 अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र, एटा के आदेश दिनांक 08.06.2011 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.10.2012 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। उक्त के अतिरिक्त बंदी को जी0एस0टी0 सं0-180/2009 के अन्तर्गत धारा-2/3 गिरोहबन्द अधिनियम, 1986 में मा0 विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-02, एटा के आदेश दिनांक 30.01.2023 द्वारा 08 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 12.08.2024 तक बंदी की आयु 45 वर्ष 11 माह 07 दिन है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा बन्दी के जेल से बाहर आने पर दोनों पक्षों में प्रतिद्वंदिता के कारण शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में भूरा उर्फ उदयपाल व कु0 विजया के घर से भाग जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 13/14.11.2008 की रात्रि को बन्दी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी रायफलों व नाजायज असलहों से गोली मारकर सत्यभान, भूरा उर्फ उदयपाल व कु0 विजया कुल 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी,

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक् परीक्षण कर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी लालू उर्फ रणधीर पुत्र श्री सुरजन सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी लालू उर्फ रणधीर (बंदी संख्या-15768) पुत्र श्री सुरजन सिंह, निवासी जनपद-एटा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, एटा।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-353/2025/93 के-2/22-3-2025-17(215)/2025

दिनांक 30 जुलाई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी लालू उर्फ रणधीर पुत्र श्री सुरजन सिंह, जो ग्राम-पिलखतरा, थाना-जलेसर, जनपद-एटा का निवासी है। पूर्व में भूरा उर्फ उदयपाल व कु0 विजया के घर से भाग जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 13/14.11.2008 की रात्रि को बन्दी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी रायफलों व नाजायज असलहों से गोली मारकर सत्यभान, भूरा उर्फ उदयपाल व कु0 विजया कुल 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-23/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 में मा0 अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र, एटा के आदेश दिनांक 08.06.2011 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.10.2012 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। उक्त के अतिरिक्त बंदी को जी0एस0टी0 सं0-180/2009 के अन्तर्गत धारा-2/3 गिरोहबन्द अधिनियम, 1986 में मा0 विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-02, एटा के आदेश दिनांक 30.01.2023 द्वारा 08 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 12.08.2024 तक बंदी की आयु 45 वर्ष 11 माह 07 दिन है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा बन्दी के जेल से बाहर आने पर दोनों पक्षों में प्रतिद्वंदिता के कारण शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में भूरा उर्फ उदयपाल व कु0 विजया के घर से भाग जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 13/14.11.2008 की रात्रि को बन्दी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी रायफलों व नाजायज असलहों से गोली मारकर सत्यभान, भूरा उर्फ उदयपाल व कु0 विजया कुल 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक् परीक्षण कर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी लालू उर्फ रणधीर पुत्र श्री सुरजन सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in